

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 1977/आषाढ़ 20, 1899
No. 240] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 1977/ASADHA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रख जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

ORDER

New Delhi, the 11th July 1977

G.S.R 483(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 and sub-clause (1) of clause 4B of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. G.S.R. 740 dated the 6th June, 1975, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies and Co-operation G.S.R. No.474(E) dated the 2nd July, 1977, and the limits of usage of refined vegetable oils specified in sub-clause(a) of clause(2) of paragraph 2 of the First Schedule to the Vegetable Oil Products (Standards of quality) Order, 1975, the Director, Vanaspathi hereby prescribes the limits specified in column (3) of the Table below as the limits of usage of the vegetable oil specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table in the manufacture of vegetable oil product (other than products manufactured for non-edible industrial use) in the regions specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table for the period specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

THE TABLE

Name of vegetable oil	Region	Limit of usage (per cent by weight of vegetable oil product)	Period
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Imported vegetable oils	All Regions	90	Month to month basis
2. Cottonseed oil or rice-brand oil	All Regions	5	Month to month basis
3. Refined sesame oil as liquid oil	All Regions	5	

2 This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain in force for the period upto and inclusive of the 30th of September, 1977.

[No. 9-VP(I)/76-Vol.-II]

M. R. SUBBARAM,
Director (Vanaspati).

भागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 483(अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 740 तारीख 6 जून, 1975 के साथ पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के खंड 4 के उपखंड (1) तथा खंड 4 ख के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के आदेश संख्या सा० का० नि० 474(अ) दिनांक 2 जुलाई, 1977 और वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 की प्रथम अनुसूची के पैरा 2 के खंड (2) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट परिष्कृत वनस्पति तेलों के उपयोग की सीमाओं को अधिकाृत करते हुए, वनस्पति निदेशक नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट सीमाओं को, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वनस्पति तेल उत्पाद (जो अखाद्य औद्योगिक प्रयोग के लिए विनिर्मित उत्पादों से भिन्न हों) के विनिर्माण में उक्त सारणी के स्तम्भ (4) तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वनस्पति तेल के उपयोग की सीमाओं के रूप में विहित करते हैं।

सारणी

वनस्पति तेल का नाम	क्षेत्र	उपयोग की सीमा (वनस्पति तेल उत्पाद के भार का प्रतिशत)	अवधि
1	2	3	4
1. आयातित वनस्पति तेल	सभी क्षेत्र	90	मासिक आधार पर
2. बिनोले का तेल अथवा धान की भूसी का तेल	सभी क्षेत्र	5	मासिक आधार पर
3. तरल तेल के रूप में परिष्कृत तिल तेल	सभी क्षेत्र	5	

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 30 सितम्बर, 1977 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

[सं० 9-बी पी (1)/76-वाल्सूम-II]

एम० आर० सुब्बाराम्,

निदेशक (वन पति)।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

